न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 35/2018

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–

1. योगेन्द्र कुमार पुत्र दुष्यंत कुमार, 201 कचहरी रोड बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (मैसर्स मैट्रिक्स फार्मा सिडकल, जानवी हॉस्पिटल के पास आजाद चौक बालोतरा जिला बाड़मेर का मालिक)
2. लोकेश गुप्ता (मैसर्स गुप्ता फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर का मालिक)
3. सुरेन्द्र कुमार शर्मा नोमिनी पर्सन ऑफ मैसर्स एल्केम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, डी 27 सुदर्शनपुरा एक्सटेन्शन 22 इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर
4. धर्मेन्द्रसिंह नोमिनी पर्सन ऑफ मैसर्स एल्केम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, डी 27 सुदर्शनपुरा एक्सटेन्शन 22 इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर

<u>परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बावजूद [illegible] तामील अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:39 IST
Reason: SelfAttested

<u>आदेश</u>

दिनांक [illegible]03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स मैट्रिक्स फार्मा सिडकल, जानवी हॉस्पिटल के पास आजाद चौक बालोतरा जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **19.09.2016** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **प्रोप्राइरीटी फूड** XPROT **(250 ग्राम)** जो कि एक कार्टून में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 8 पैकेट सीलबंद **प्रोप्राइरीटी फूड** XPROT **(250 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–700** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **प्रोप्राइरीटी फूड** XPROT **(250 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **प्रोप्राइरीटी फूड** XPROT **(250 ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि प्रकरण में जो **प्रोप्राइरीटी फूड** गुणवत्ता में सही नहीं पाया गया है व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मैसर्स एल्केम लेबोरेट्री से खरीद किया है, इसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी है तो इसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावे। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता एवं अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:39 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **24.10.2016** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ आम जन को उपभोग हेतु विक्रय करने में इसकी गुणवत्ता एवं मानकता के दायित्व से विमुख होने के आशय से जवाब प्रस्तुत किया गया है जो कतई क्षम्य नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 को प्रकरण की प्रत्येक कार्यवाही में नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:39 IST
Reason: SelfAttested